

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 15.02.2016

एस.ओ. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 89(16)खा.वि./उ.स./94 दिनांक 26.05.2003 के द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर-प्रथम एवं द्वितीय का गठन होने के फलस्वरूप इनका क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाकर अधिसूचित किया गया था। जयपुर जिले में जिला मंच तृतीय एवं चतुर्थ का गठन भी अधिसूचना दिनांक 26.09.2011 के द्वारा किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 26.05.2013 में आंशिक संशोधन किया जाकर जयपुर जिले में स्थापित चार जिला मंचों का संशोधित क्षेत्राधिकार निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :-

क्र.सं.	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच	संशोधित क्षेत्राधिकार
1	जयपुर-प्रथम (पूर्व)	(1) सांगानेर (2) प्रताप नगर (3) मालवीय नगर (4) जवाहर सर्किल (5) गांधी नगर (6) बजाज नगर (7) मोती डूंगरी (8) लाल कोठी (9) बस्ती (10) कानोता (11) आदर्श नगर (12) जवाहर नगर (13) ट्रांसपोर्ट नगर
2	जयपुर-द्वितीय (पश्चिम)	(1) सदर (2) विश्वकर्मा (3) हरमाड़ा (4) सिन्धी कैम्प (5) बनीपार्क (6) वैशाली नगर (7) करधनी (8) करणी विहार (9) मुरलीपुरा (10) कालवाड़ा (11) बगरु (12) चौमू (13) झोटवाड़ा (14) गोविन्दगढ़ (15) सामोद (16) कालाडेश (17) सांभरलेक (18) रेनवाल (19) फुलेरा (20) जोबनेर (21) दूदू (22) नरेना (23) फागी
3	जयपुर-तृतीय (उत्तर)	(1) भट्टा बस्ती (2) कोतवाली (3) नाहरगढ रोड (4) संजय सर्किल (5) शास्त्री नगर (6) माणक चौक (7) सुभाष चौक (8) रामगंज (9) गलतागेट (10) आमेर (11) ब्रह्मपुरी (12) जालूपुरा (13) विद्याधर नगर (14) कोटपूतली (15) प्रागपुरा (16) पनियाला (17) शाहपुरा (18) अमरसर (19) विसाट नगर (20) मनोहरपुर (21) जमवारामगढ़ (22) आंधी (23) चंदवाजी
4	जयपुर-चतुर्थ (दक्षिण)	(1) मानसरोवर (2) शिप्रापथ (3) मुहाना (4) शिवदासपुरा (5) अशोक नगर (6) विधायकपुरी (7) ज्योति नगर (8) सोडाला (9) श्याम नगर (10) महेश नगर (11) घाकसू (12) सांगानेर सदर

(संख्या एफ 89(18)उ.मा./उ.स./2000-III)

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ. सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

18.2.16